

डिप्टी मुकदमा इन्तदाई

(श्री 20 कल 6-7 जाखा दीवानी)

अज अदालत न्यायालय चप जिला फरखार टांजनीम जिला कर्नाती

इजलासा जनदीश आर्द (आर.ए.एन)

उनखान

मेवा धन्य मुय देवदक्स मीना धनम राजस्थान सरकार चरिए जिला कलक्टर
 जाति मीना निचारी टांजनीम कर्नाती
 टांजनीम टांजनीम तांजनीलवार टांजनीम

दवाा खवत इस्तथायटक व खाती निवेदाजा मु०१०.१२ तान २०१८

फर मुकदमा आज वारते इनीकिसाल कतई कतई इगारे व शजारी श्री सुरेश धन्य शर्मा एडवोकेट मिनजाविय मुदई कवरू पाठनीलवार टांजनीम मिनजाविय मुदायलत पैवा शेकर हुजम दिया जाता है व डिप्टी दी जाती है। कि दवाा वादी खिल्लाफ प्रतिवादी वास्तिक किया जाता है।

जिव...NIL...मुपदिन...NIL...मगत...NIL...जार्द दस मुकदमे के मा मुद बशरत...NIL...श्रीमती शाताना अज को तारीख से तारीख अदावती तक...NIL...अदा करे जसल मेरे दस्तखत व मुदर अदातता के आज दिनांक 22.06.2018 को जारी करे गई।

श्रीमती मुकदमा फरखार
 ओरदा, टांजनीम (कर्नाती)

मुदई	रूपया	पैरी	मुदायता	रूपया	पैरी
रस्ताप अर्की दवा			रस्ताप अर्की दवा		
रस्ताप कसाल नाग			रस्ताप अर्की दवा		
रस्ताप वजहें शपुल			रस्ताप अर्की दवा		
पाठनालाय यकील			मुदायताय वकील		
खर्चा मजालिन			खर्चा मजालिन		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
दवाा मुदायत हुजमनामा			दवाा मुदायत हुजमनामा		
मुदायतक			मुदायतक		

अधिकार कलक्टर
 आदिल १०.०६.१८

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोंडशीम जिला करांली

210 12 / 2018

तारीख रजु - 12.01.2018

जारीन अधिकाारी - धारदीम जर्म

उपनाम

धरम गुरु देववना सीमा विपरीत गारवार धरशीर टोंडशीम जिला करांली

(करांली)

धरम

1. राजरुखन सरकार गरिब जिला कलक्टर करांली।
2. धरशीलदार टोंडशीम

(प्रतिवादीनाम)

दया भागत इसातरक व रवाई जिरेकावा

उपस्थिति - श्री गुरुम धरम जर्म एजोकेट (करांली)

धरशीलदार टोंडशीम देवकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय

निर्णय दिनांक - 22.06.2018

पत्रावली राजरुखन देवका अदालत नाम आचार्य धारा कलक्टर ने देवा हुई। धरम व का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खण्ड-101 रकबा 0.09 है, खण्ड-102 रकबा 0.02 है। जिला जमीन सिमावक धरम मकौट ने भिजा है। विरामे वाली का कला अरानी खण्ड-101 रकबा 0.09 ने से 0.05 है। तथा खण्ड-102 रकबा 0.02 कुल भिजा 2 रकबा 0.07 एकर भूमि पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा वाली का कला दर्शाया गया है। उक्त रकबे पर धरम से सुसुगाने जानने से वाली का कला कासा पास आ रहा है। वाली द्वारा उक्त आरणी भूमि को अवैध रूप से वाली द्वारा कुल भिजा पर निर्माण व दंगुल देर का निर्माण करना दिया गया है। वाली को इस तथ्य का खुलासा होने पर वाली अपनी खतरे वाली की भूमि खण्ड-105 रकबा 0.07 है। जो कि वाली की प्लॉट के नाम गारवार रिजर्वे ने दर्ज है। विरामे खण्ड-101 व 102 लगा है। खण्ड-105 रकबा 0.05 है। जो कि वाली के नाम दर्ज है। जो सरकारी सिमावक दर्ज कर सरकारी खतरे वाली की उपर भूमि खण्ड-101 रकबा 0.05 है। व 102 रकबा 0.02 है। जो खतरे वाली नाम तथा खण्ड-105 रकबा 0.07 है। जो से 0.05 है। वाली खण्ड-101 ने शामिल करने व 0.02 है। जमीन खण्ड-102 ने शामिल कर नामांकित सुल्लत करवाने गारव आर धरम करण आचार्य धरम है। वाली धरम गारवार का गुरु भिजाती है। वाली की प्लॉट के नाम जमीन खण्ड-105 व अन्य खण्ड-10 व नामान धरम मकौट ने है। तथा खण्ड-105 रकबा 0.06 है। जो वाली के नाम है। धरम मकौट व आचार्य के अनाधिकार तथा खण्ड-105 रकबा 0.06 है। जो वाली के नाम है। धरम मकौट ने खण्ड-102 रकबा 0.02 है। जो वाली को धरम खरेवान करने की गारव से कलान्तर ने खण्ड-102 रकबा 0.02 है। जिला जिला नामान धरम विरामे के गारव के लिए अधिाधिक करवाकर धरम करण करण रहे है। धरम वरने वाली की खतरे वाली जमीन का कलान्तर दर्ज करवाते कला करने पर धरम करण किया गया धरम को जिला नाम कलिका आरक्षण उक्तने कलने के आचार्य ने धरम से धरम है। धरमिग धरम करना अनाधिकार धरम है। धरम वाली विरामे प्रतिवादीनाम विरामे धरमका कला कि अरानी खण्ड-101 रकबा 0.05 है, 102 रकबा 0.02 है। जो धरम पर वाली का कला है।

धरम मकौट
धरम (करांली)

